भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/भर्ती की दशा में [illegible] प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसा मीटर रीडर (कुशल) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष [illegible] सेवा की है

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से [illegible] किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. लेफ्टिनेंट या अधीक्षक इंजीनियर —अध्यक्ष 2. मेजर या कार्यपालक इंजीनियर —सदस्य 3. कैप्टन या समूह "क" सिविलियन राजपत्रित अधिकारी जो विभाग से संबद्ध न हो —सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. 85605/आर.आर./एम.आर./एन.ओ.एन.-आई.एन.डी.सी.एस.सी.[illegible]

New Delhi, the 4th August, 1989

S.R.O. 222.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Meter Reader, Highly skilled, Grade II in the Ministry Engineer Services under the Ministry of Defence, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry Engineer Services (Meter Reader highly Skilled, Grade II, Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Meter Reader Highly Skilled Grade II	69* (1989)	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial Non-Industrial, Non-Gazetted.	Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800	Non selection post

*Subject to variation dependent on workload.

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply, in case of promotees
6	7	8	8
No	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exxists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
	methods			
10	11	12	13	14
Not applicable	100% by promotion	Meter Reader (skilled) with 3 years regular service in the grade	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Lt. Col or Suptdg Engineer—Chairman 2. Major or Executive Engineer—Member. 3. Captain or Group 'A' Civilian Gazetted Officer not connected with the department—Member	Not applicable

[No. 85605/RR/MR/Non-Ind/CSCC]

सा. नि. ग्रा. 223.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैन्य कैडेट कालेज (वर्ग । और [illegible] पद) भर्ती नियम, 1966 को, जहां तक उनका संबंध प्राचार्य के पद से है उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है सैना कैडेट कालेज विंग भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्राचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैना कैडेट कालेज, भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता, वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।